रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07092021-229479
CG-MH-E-07092021-229479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943
No. 382] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के तहत अधिसूचना

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/49.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:

1. वे सहयुक्त व्यक्ति (असोसिएटेड पर्सन) जो पोर्टफोलियो प्रबंधक के मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) के रूप में या पोर्टफोलियो प्रबंधक के ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) के रूप में कार्य कर रहे हों जिनके पास निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) से जुड़े निर्णय लेने का प्राधिकार हो, "रा.प्र.बा.सं. - श्रृंखला-XXI-ख: पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा" [जिसका उल्लेख राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा जारी की गई तारीख 15 जून, 2021 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XXI-बी: पोर्टफोलियो मैनेजर्स (पीएम) सर्टिफिकेशन/2021/01 में किया गया है] को उत्तीर्ण किए जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण प्राप्त करेंगे।

2. पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी सहयुक्त व्यक्ति, जो इस अधिसूचना की तारीख तक की स्थिति के अनुसार मुख्य अधिकारी हों या ऐसे कर्मचारी हों जिनके पास निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) से जुड़े निर्णय लेने का प्राधिकार हो, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर "रा.प्र.बा.सं. - श्रृंखला-XXI-ख: पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा" को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त कर लें:

परंतु यह कि जो पोर्टफोलियो प्रबंधक, इस अधिसूचना की तारीख के बाद, ऐसे किसी सहयुक्त व्यक्ति को नियुक्त आदि करता है जो मुख्य अधिकारी हो या ऐसा कर्मचारी हो जिसके पास निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) से जुड़े निर्णय लेने का प्राधिकार हो, वह पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति उसे नियुक्त आदि किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर "रा.प्र.बा.सं. - श्रृंखला-XXI-ख: पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा" को उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणीकरण प्राप्त कर ले।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होगी।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./245/2021-22]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2021

Notification under Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/49.—In terms of Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 read with sub-regulation (2) of regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, the Board hereby issues the following notification:

1. The associated persons functioning as principal officer of a Portfolio Manager or employee(s) of the Portfolio Manager having decision making authority related to fund management, shall obtain certification from the National Institute of Securities Markets by passing the NISM-Series-XXI-B: Portfolio Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/Series-XXI-B: Portfolio Managers (PM) Certification/2021/01 dated June 15, 2021 issued by the National Institute of Securities Markets.

2. The Portfolio Managers shall ensure that all such associated persons who are principal officers or employees having decision making authority related to fund management as on the date of this notification obtain the certification by passing the NISM-Series-XXI-B: Portfolio Managers Certification Examination within two years from the date of this notification:

   Provided that a Portfolio Manager, who engages or employs any such associated person who is a principal officer or an employee having decision making authority related to fund management, after the date of this notification, shall ensure that such person obtains certification by passing the NISM-Series-XXI-B: Portfolio Managers Certification Examination within one year from the date of their employment.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./245/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.07 22:55:36 +05'30'